C.N. 179/2017 चम्पालाल v/s लक्ष्मणराम

27/3/24 पीठासीन अधिकारी आज भ्रमण पर/अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आईन्दा सुनवाई हेतु पूर्व अनुसार दिनांक 15/5/2024 को पेश हो।

आज्ञा से

रीडर
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

15.5.24 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। उप खण्ड अधिकारी, लूनी के पत्र में दिनांक 18.3.2016 को आवंटन लीज नामे की गई है।

धारा 90-A राजस्व अधिनियम का भी अवलोकन किया गया जिसमें खातेदारी भूमि का राजकीय प्रयोजन करके इस कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करने बाबत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त को प्रदत्त किया हुआ है। उक्त आवंटन लीज के विरुद्ध अपील पर सुनवाई हेतु धारा 90-A के तहत अधिकृत नहीं किया गया है अतः उपरोक्त प्रस्तुत अपील सुनवाई क्षेत्राधिकार की नहीं होने से सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी को लौटाई जाती है। पत्रावली बाद निस्तारण रजिस्टर से कम हो। LC का रिकार्ड लौटाया जावें।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सहायक कलेक्टर
लूनी